न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्रीमती दीप्ति शर्मा आर0ए0एस0

सप्लाई विविध प्रार्थना पत्र संख्या 16/2022 (2022/166)

प्रार्थी :–

पुष्पराज पालीवाल प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. बालाराम पुत्र श्री फूसाराम जाति विश्नोई निवासी पल्ली तहसील लोहावट, हाल डिलीवरी बॉय वैष्णोदेवी एच.पी. गैस एजेन्सी, बीजेएस जोधपुर
2. प्रोपराईटर वैष्णो देवी एच.पी. गैस एजेन्सी, बीजेएस जोधपुर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थिति :–

अप्रार्थीगण नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

–: आदेश :– दिनांक :– 29.05.2024

श्रीमान जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर के आदेश क्रमांक /कोर्ट/डीएम/2436 दिनांक 07.11.2022 की अनुपालना में प्रार्थना पत्र स्थानान्तरित किया जाकर सुनवाई हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी पुष्पराज पालीवाल, प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का नियन्त्रण) आदेश 2000 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश करते हुए जाहिर किया कि दिनांक 02.11.2022 को जिला रसद अधिकारी जोधपुर द्वारा गठित टीम द्वारा वैष्णो देवी एच.पी. गैस एजेन्सी की गाडी संख्या आरजे 19 जीएफ 9270 जो बीजेएस कालोनी में आरटीओ ऑफिस के पास खड़ी गाड़ी में रखे भरे हुए एवं खाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepti Sharma
Date: 2024.08.06 17:22:15 IST
Reason: SelfAttested

सिलेण्डरो का वजन करवाने पर 05 घरेलु सिलेण्डरों में मानक भार से कम गैस पाई गई। मौके पर गाड़ी में कम वजन के गैस सिलेण्डरों का पाया जाना स्पष्ट करता है कि इन सिलेण्डरों में से गैस एजेन्सी के कार्मिकों द्वारा गैस निकाली गई है अथवा उनसे अवैद्य रिफिलिंग की जाकर उपभोक्ताओं को कम वजन के सिलेण्डरों की आपूर्ति की जा रही है जो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने के कारण जब्तशुदा 05 घरेलु गैस सिलेण्डरों को अधिग्रहण किया जाकर प्रतिनिधि मारवाड़ गैस एजेन्सी के प्रबंधक श्री हनुमानराम को सूपूर्दगी में दिये गये जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्रम संख्या	सिलेण्डर का एस. आर. क्रमांक	सरकारी तेल कम्पनी का नाम	खाली सिलेण्डर का उपदर्शित भार / टैयर वेट किग्रा में	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एलपीजी किग्रा में	शुद्ध गैस का भार (किग्रा में)
1	165430–टी	एचपी	15.6	27.7	12.1
2	870594–टी	एचपी	15.6	27.8	12.2
3	150906–एस	एचपी	16.0	28.6	12.6
4	608756–एस	एचपी	15.6	27.9	12.3
5	134629–टी	एचपी	15.6	17.4	01.8

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के अन्त में उपरोक्त जब्तशुदा घरेलु गैस सिलेण्डरों को राजसात करने एवं भरे हुए गैस सिलेण्डरों में प्रयुक्त एल.पी.जी. गैस का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित। अप्रार्थीगण को जवाब एवं बहस हेतु अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। जवाब व बहस का अवसर बंद किया जाकर पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 29.05.2024 को रखी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि मौके पर उपरोक्त जब्तशुदा 05 घरेलु गैस सिलेण्डरों का भौतिक सत्यापन पर वजन करवाने पर घरेलु गैस सिलेण्डर मानक भार से कम वजन के पाये गए

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepti Sharma
Date: 2024.08.06 17:22:15 IST
Reason: SelfAttested

जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों में से गैस निकाली गई है तथा अवैध रूप से गैस रिफिलिंग की गई है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 की धारा 4 (a)(b) की स्पष्ट अवहेलना की गई है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से प्रार्थी द्वारा की गई कार्यवाही से सहमत होते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जब्तसुदा 05 घरेलु गैस सिलेण्डरों को राजसात किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी जिला रसद अधिकारी (प्रथम), जोधपुर को निर्देश दिये जाते है कि वह उपरोक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों को संबंधित गैस एजेन्सी में जमा करावें तथा उससे प्राप्त राशि निर्धारित मद में राजकोष में जमा करायी जावे। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी (प्रथम) जोधपुर को भिजवाई जावे। इस आशय की तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(दीप्ति शर्मा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 29.05.2024 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दीप्ति शर्मा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Deepti Sharma
Date: 2024.08.06 17:22:15 IST
Reason: SelfAttested